न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./07/2017/बाड़मेर

अपीलांट

1. सतार खां पुत्र रफीक खां जाति मुसलमान निवासी भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.सलीम पुत्र रफीक खां
2.निसार पुत्र रफीक खां फोत
2/1गफार मोहमद पुत्र निसार
2/2मोहमद सरीफ पुत्र निसार
2/3मोहमद हनीफ पुत्र निसार
2/4सफी मोहमद पुत्र निसार
जाति मुसलमान निवासी भाडखा तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर।
3.तहसीलदार बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 1430/2015 बअनवान सतारखां बनाम सलीम खां वगै. में पारित आदेश दिनांक 18.06.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भाखराराम गोदारा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राजेश विश्नोई रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री कुमार कौशल जोशी रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/4 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 10.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी के खातेदार सुरता पुत्र हेमा ने खसरा संख्या 180 रकबा 172.05 बीघा गांव भाडखा तहसील बाड़मेर में से 60 बीघा भूमि रफिक पुत्र रहीम, निसार, सतार पिसरान रफीक को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र बैचान दिनांक 22.12.1959 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर कब्जा 1/3 हिस्सा वादी सतारखां, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 निसार खां व 1/3 हिस्सा का मुतवफी रफीक खां को सुपुर्द किया था। जिसका माफिक बैचान नामान्तकरण सख्या 83 दिनांक 15.10.1960 गांव भाडखा तीनों खरीददारों के नाम पारीत किया गया था परन्तु जमाबंदी में खातेदारी का इन्द्राज केवल रफीक खां पुत्र रहीम खां अकेले का नाम, राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने कलमी भूल से गलत दर्ज कर दिया और वादी सतार खां एवं प्रतिवादी संख्या 02 निसार का नाम दर्ज करना छोड़ दिया। इसलिए राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराने के लिए अपीलकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा का वाद पेश किया जिसके साथ विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खातेदारी की भूमि का बेचान करने एवं अन्य को कब्जा कराने की लगातार धमकीया देने पर प्रार्थी/अपीलकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का मौका दिये कैम्प कौर्ट में एकपक्षीय अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आदेश पारित किया गया। लोक अदालत में केवल राजीनामा के आधार पर निर्णय किया जाने का प्रावधान है परन्तु हस्तगत प्रकरण में न तो राजीनामा था, न पक्षकारों को कोई सूचना दी गई न नोटिस दिया गया और बिना पक्षकारों को सूचना दिये अपीलांट का स्थगन का आवेदन खारिज किया गया। यदि वादग्रस्त आराजी को उतरदाता द्वारा आगे से आगे बेचान कर हस्तान्तरण किया जाता है तो अपूरणीय क्षति अपीलांट को होने की वजह से अपीलांट के वाद का मकसद समाप्त हो जाता है और सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में प्रमाणित है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन नहीं करते हुए पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी के खातेदार सुरता पुत्र हेमा ने खसरा संख्या 180 रकबा 172.05 बीघा गांव भाडखा तहसील बाड़मेर में से 60 बीघा भूमि रफिक पुत्र रहीम, निसार, सतार पिसरान रफीक को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र बैचान दिनांक 22.12.1959 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर कब्जा 1/3 हिस्सा वादी सतारखां, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 निसार खां व 1/3 हिस्सा का मुतवफी रफीक खां को सुपुर्द किया था। जिसका माफिक बैचान नामान्तकरण सख्या 83 दिनांक 15.10.1960 गांव भाडखा तीनों खरीददारों के नाम पारीत किया गया था परन्तु जमाबंदी में खातेदारी का इन्द्राज केवल रफीक खां पुत्र रहीम खां अकेले का नाम, राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने कलमी भूल से गलत दर्ज कर दिया और वादी सतार खां एवं प्रतिवादी संख्या 02 निसार का नाम दर्ज करना छोड़ दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का मौका दिये कैम्प कौर्ट में एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। लोक अदालत में केवल राजीनामा के आधार पर निर्णय किया जाने का प्रावधान है परन्तु हस्तगत प्रकरण में न तो राजीनामा था, न पक्षकारों को कोई सूचना दी गई न नोटिस दिया गया और बिना पक्षकारों को सूचना दिये अपीलांट का स्थगन का आवेदन खारिज किया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है यदि वादग्रस्त आराजी को उतरदाता द्वारा आगे से आगे बेचान कर हस्तान्तरण किया जाता है तो अपूरणीय क्षति अपीलांट को होने की वजह से अपीलांट के वाद का मकसद समाप्त हो जाता है और सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में प्रमाणित है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन नहीं करते हुए पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि निसार खां, सतार खां पुत्रान रफीक खां न होकर सदीक खां के पुत्र है। सलीम खां के दो भाई सतारखां, निसार खां थे। दोनो की मृत्यु होने पर वादग्रस्त भूमि सलीम खां व मां के नाम आई तथा मां की फौतेदगी पर भरे गये नामांतकरण पर सलीम खां अकेले नाम आई। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट संख्या 01 तकरीबन 60 वर्ष से में रिकॉर्डेड खातेदार हूँ। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 02 क्रमशः सतार व निसार ने कुल छः बेचान किये है उसमें पिता का नाम सदीक खां लिखा हुआ है। रेस्पोडेंट संख्या 01 रिकॉर्डेड खातेदार है जिसके विरूद्ध स्थगन आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/4 की ओर से बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है जिसमें सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण को सुनवाई हेतु कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु रखी इस बाबत अपीलांट को सूचना हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश बिना कोई विधिक प्रक्रिया को अपनाये पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश की नकल वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 20.07.2016 को मांगी गई जो तारीख 11.11.2016 को तैयार कर दी गई तब अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट वकील द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं है। देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया है। अतः अपीलांट की अपील को मिंयाद बाहर होने से इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अपीलांट को उसकी अपील गुणावगुण पर निपटाने का मौका दिया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि पश्चात अपील प्रस्तुत करने में उसकी ओर से जानबूझकर देरी करने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं हुआ है। केवल ज्ञान कब? किसके द्वारा? होने का कथन नहीं कर देने के तकनीकी एतराजों पर अपील खारिज करने से अपीलांट न्याय से वंचित हो सकता है। लिहाजा अपील प्रस्तुति के विलम्ब को वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए सद्भाविक मानकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी का वक्त क्रय से रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध इंजेक्शन (T.I.) जारी करना न्यायोचित नहीं है। मूल वाद अभी भी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी में उभयपक्ष के हितों का निर्धारण वाद के निस्तारण के बाद ही तय हो सकता है उससे पहले वादग्रस्त आराजी का बेचान/हंस्तातंरण रेस्पोडेंट संख्या 01 रिकॉर्डेड खातेदार होने से करने के अधिकारी ठहरते है। इस दृष्टि से मामला पृथमदृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति रेस्पोडेंट संख्या 01 के पक्ष में प्रतीत होते हैं। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 1430/2015 बअनवान सतारखां बनाम सलीम खां वगै. में पारित आदेश दिनांक 18.06.2016 को यथावत रखा जाता है।

10/12/19

(नाथूसिंह सवाऊ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner